

अनुमति प्रमाण पत्र सम्बन्धित गाम पंचायत के गाम प्रधान/सरपंथ के स्टेटर हृषि पर जारी किया जाना है।

### अनुमति प्रमाण पत्र

मेरे द्वारा गाम प्रधान/सरपंथ- गाम पंचायत का नाम  
चंडीगढ़- पुरवा भूखेली गाम पंचायत का नाम  
प्रमाणित करता/करती हूँ कि श्री/श्रीमती  
सुरजन वर्मा (उम्मीदवार का नाम), पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमती  
कृष्ण भगतीकृष्ण पुरवा (पिता/माता का नाम), निवासी  
आधार संख्या 2915 5381 4668 (गाम पंचायत का नाम), जिसका  
गाम पंचायत में पेयजल वितरण प्रणाली के संचालन/नियंत्रित  
और रखरखाव में न्यूनतम 2 वर्षों तक कार्य किया है।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त सभी प्रविष्टियाँ मेरे जान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं।  
यदि मेरे द्वारा उपलब्ध कराये गये उपरोक्त तथ्य किसी भी समय एवं स्तर पर असत्य/गलत पाये  
जाते हैं तो इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विस्तृप्त की जाने वाली कार्यवाही के लिए  
मैं स्वयं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

दिनांक:.....

द. 21.2.2023  
हस्ताक्षर और भूमि यादव  
गाम प्रधान/सरपंथ का नाम  
(गाम पंचायत)